न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,डीग

प्रकरण संख्याः- 72/2024 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/188)

पीठासीन अधिकारीः- श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. सतीशचन्द
2. राजेन्द्र
3. वांकेबिहारी

} पुत्रगण मंगतूराम जातियान वैश्य नि0 सेऊवाली गली करवा डीग तहसील व जिला डीग(राज0)

-प्रार्थीगण

बनाम

1. चरन सिंह
2. जगतार सिंह
3. प्रेम सिंह

} पुत्रगण अमरीक सिंह

4. खेलकौर पत्नी दर्शनलाल जातियान सिक्ख नि0 सोघर मौहल्ला किशनपुर डीग तहसील व जिला डीग(राज0)

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी.

निर्णय दिनांकः 21.07.2025

प्रार्थीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 571/45 में से 2/45 व 572/0.23, में से 2/23 वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग पर अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट का पेश किया गया और अप्रार्थीगण का दावा न्यायालय हाजा में उनवानी अमरीक सिंह वगै0 बनाम सतीशचन्द वगै0 मुकदमा नम्बर 156/2003 दर्ज हुआ और न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.01.2006 को अप्रार्थीगण का दावा डिक्री कर दिया और आराजी खसरा नम्बर 571/0.45 में से 2/45 व खसरा नम्बर 572/0.23 में से 2/23 का खातेदार दर्ज कर दिया और न्यायालय हाजा के आदेश की पालना अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा दी गई जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग के यहॉ पेश की गई जो अपील उनवानी सतीशचन्द वगै0 बनाम अमरीक सिंह पेश हुई और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया और आराजी खसरा नम्बर 571/0.45 में से 2/45 हिस्सा व खसरा नम्बर 572/0.23 में से 2/23 हिस्सा को प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति ना होने का राजीनामा पेश किया गया और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा दिनांक 04.07.2007 को अपील प्रार्थीगण खारिज करदी गई। जिसके विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील पेश की गई और माननीय राजस्व मण्डल में अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा दिनांक 04.09.2021 को पेश किया और मण्डल द्वारा अपील दिनांक 29.09.2022 को स्वीकार करली और न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.01.2006 मुकदमा नम्बर 156/2003 को

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

खारिज कर दिया गया और लिपिकीय भूल के कारण खसरा नम्बर 572/0.23 आदेश में लिखने से रह गया जिसे दुरूस्त कराये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 जा.दी. का पेश किया गया जोकि दिनांक 24.05.2024 को स्वीकार किया गया और प्रार्थीगण की अपील स्वीकार कर न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 19.01.2006 मुकदमा नम्बर 156/03, उनवानी अमरीक सिंह वगै0 बनाम सतीशचन्द वगै0 निरस्त कर दिया गया। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.01.2006 मुकदमा नम्बर 156/03, उनवानी अमरीक सिंह चगै0 बनाम सतीशचन्द वगै0 की पालना अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में अपने नाम दर्ज करालीं थी अब माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रार्थीगण की अपील स्वीकार की गई है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी अप्रार्थीगण के नाम आराजी खसरा नम्बर 571/0.45 में से 2/45 हिस्सा पर व खसरा नम्बर 572/0.23 में से 2/23 हिस्सा पर दर्ज किया जा रहा है जोकि गलत है। अमरीक सिंह फॉत हो गया,जिसके वारिसान द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में राजीनामा पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. पेश कर निवेदन है कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.01.2006 मुकदमा नम्बर 156/03, उनवानी अमरीक सिंह वगै. बनाम सतीशचन्द वगै. से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस की तलबी कराई गई जिस पर अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामील के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 09.06.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 14.07.2025 को प्रार्थना पत्र पर वकील सायल की बहस सुनी गई।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन(1) जहॉ कि और जहॉ तक किसी डिक्री या आदेश में किसी अपील,पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में फेरफार किया जाए या उसे उल्टा जाए अथवा उसको इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त किया जाए या उपान्तरित किया जाए वहॉ और वहॉ तक वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था, उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या जहॉ तक हो सके,उस स्थिति में हो जायेंगे जिसमें वे होते यदि वह डिक्री या आदेश या उसका वह भाग जिसमें फेरकर किया गया है या जिसे उल्टा गया है या अपास्त किया गया है या उपान्तरित किया गया है,ना दिया गया होता और न्यायालय इस प्रयोजन से कोई ऐसे आदेश जिनके अन्तर्गत खर्चों के प्रतिदाय के लिए और ब्याज नुकसान,प्रतिकर और अन्त कालीन लाभों के सदाय के लिए आदेश होंगे, कर सकेगा जो उस डिक्री या आदेश को ऐसे फेरफार करने,उलटने,अपास्त करने या उपान्तरण के उचित रूप में पारिणिमिक है।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह न्यायालय जिसने डिक्री या अदेश पारित किया था पद के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत निम्न लिखित है-

(क)जहॉ डिक्री या आदेश में फेरफार या उलटाव अपीली या पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में किया गया है वहॉ प्रथम बार का न्यायालय,

(ख) जहॉ डिक्री या आदेश पृथक वाद में अपास्त किया गया है। वहॉ प्रथम बार का वह न्यायालय जिसने ऐसी डिक्री या आदेश पारित किया था,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

(ग) जहॉ प्रथम बार का न्यायालय विधमान नहीं रहा है या उसकी उसे निष्पादित करने की अधिकारिता नहीं रही है वहॉ वह न्यायालय जिसे ऐसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता होती यदि वह वाद जिसमें डिक्री या आदेश पारित किया गया था। इस धारा के अधीन प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन किये जाने के समय संस्थित किया गया होता।

(2) कोई भी वाद कोई ऐसा प्रत्यास्थापन या अन्य अनुतोष अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से संस्थित नहीं किया जाएगा जो उप धारा (1) के अधीन आवेदन द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकता था।

प्रार्थीगण ने अपने अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में मु0नम्बर 156/03, उनवानी अमरीक सिंह वगै0 बनाम सतीशचन्द वगै0 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की है।

संक्षेप में तथ्य यह है कि आराजी खसरा नम्बर 571/45 में से 2/45 व 572/0.23 में से 2/23 वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग के अन्तर्गत आर.टी.एक्ट 88,89,188 के तहत दावा अमरीक सिंह बनाम सतीशचन्द मु0नम्बर 156/2003 दायर किया था जो इस न्यायालय द्वारा 19.01.2006 को अप्रार्थीगण का दावा डिक्री कर आराजी खसरा नम्बर 571/0.45 में से2/45 व खसरा नम्बर 572/0.23 में से 2/23 का खातेदार दर्ज कर दिया। इस न्यायालय के आदेश की पालना अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा कर करायी गई। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प में की गई जहॉ पक्षकारों में राजीनामा हो गया। खसरा नम्बर 571/0.45 में से 2/45 हिस्सा खसरा नम्बर 572/0.23 में से 2/23 हिस्सा प्राथीगण के नाम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं का राजीनामा पेश कया गया था जिसे दिनांक 04.07.2007 को राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर न्यायालय ने अपील खारिज करदी। जिसके विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा अपील राजस्व मण्डल अजमेर में की गई जहॉ दिनांक 04.09.2021 को राजीनामा पेश किया। प्रार्थीगण की अपील दिनांक 29.09.2002 स्वीकार करली। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 19.01.2006 मु0नम्बर 156/2003 खारिज कर दिया और लिपिकीय भूल के कारण खसरा नम्बर 572/0.23 आदेश में लिखने से रह गया जिसे 151-152 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2024 की स्वीकार किया गया और प्रार्थीगण की अपील नजर सानी/अपील/डिक्री/टी.ए./5781/2019/भरतपुर सतीशचन्द वगै0 बनाम अमरीक सिंह वगै0 में निर्णय दिनाक 29.09.2022 उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर नजर सानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.09.2009 निरस्त किया जाता है। मौजूदा प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 172/06, स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2007 एवं उपखण्ड अधिकारी डीग का निर्णय दिनांक 19.01.2006 निरस्त किये जाकर अप्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 156/2003 खारिज किया जाता है,निर्णय किया।

नजर सानी अपील डिक्री/टी.ए./578/2019 भरतपुर सतीशचन्द वगै0 बनाम अमरीक सिंह वगै0 निर्णय दिनांक 24.05.2024 द्वारा 151 व 152 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर पुनर्विलोकन याचिका में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2022 के पृष्ठ संख्या 2 की पंक्ति संख्या 13 के अंतिम शब्द ऐअर के आगे एवं खसरा नम्बर 572/0.23 में से 2 ऐअर लाल स्याही से अंकित किया जावे निर्णय किया गया।

उपर्युक्त विवरण अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत है।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है कि:-

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 571/45 में से हिस्सा 2/45, 572/0.23 में से हिस्सा 2/23, वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग में स्थित है तथा समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि सभी न्यायालयों के निर्णय निरस्त हो जाने के कारण मु0 नम्बर 156/03, उनवानी अमरीक सिंह वगै0 बनाम सतीशचन्द वगै0 निर्णय दिनांक 19.01.2006 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को निर्णयानुसार पालना सुनिश्तिच किये जाने हेतु भिजवाई जावे।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner